# न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प बयाना

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 33/2021 (223 आर0टी0एक्ट0)
आररीएमएस संख्या :– 2021/119

उनवान

बत्तू पुत्र बीरबल जाति गूजर नि0 कल्ले का नगला, खेरीडांग तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर भरतपुर।
2. तहसीलदार तहसील बयाना।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 21.01.2021 प्रकरण संख्या 113/2009 उनवान बत्तू बनाम सरकार, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना।

उपस्थित :–

1. श्री धनीराम पोषवाल, अभिभाषक अपीलाण्ट।
2. पैरोकार सरकार उपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :–14.10.2021

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी बयाना के निर्णय दिनांक 21.01.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि नवीन आराजी खसरा नम्बर 793 रकबा2.04, 794 रकबा 2.66 किता 02 रकबा 4.70 है0 वाकै ग्राम खेडीडांग तहसील बयाना स्थित है। जिस पर वादी अपीलाण्ट का उनके पूर्वजो के समय से कब्जा काश्त है। वादी/अपीलाण्ट सवंत 2012 से पूर्व यानि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही ताहाल बदस्तूर आज तक निर्विवाद रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं। परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने विवादित आराजी को राजस्व रिकार्ड में सिवायचक गलत अंकित कर रखा है जो मुताबिक कानून एवं मौके के विपरीत है। अतः वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी पर खातेदार काश्तकार घोषित करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, वाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2021 से खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2 अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस मे तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय वादी अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य पर गौर ना करते हुये मनमाने तरीके से निर्णय पारित किया है। वादग्रस्त आराजी पैतृक आराजी है जिस पर अपीलाण्ट का अपने पूर्वजो के समय से ही

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

कब्जा काश्त रहा है। विवादित आराजी कभी भी चारागाह के रूप में नहीं रही है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलाण्ट को वादग्रस्त आराजी का अतिक्रमी मानते हुये एवं बिना दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये, सरसरी तौर पर अपीलाण्ट का दावा खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. राजकीय अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कोई कब्जा काश्त नही है। विवादित आराजी चारागाह कस्टोडियन दर्ज अभिलेख है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यो की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अपीलाण्ट का प्रस्तुत अपील में प्रमुखता से यह कथन रहा है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक आराजी है जिस पर अपीलाण्ट का अपने पूर्वजो के समय से ही कब्जा काश्त रहा है। विवादित आराजी कभी भी चारागाह के रूप में नहीं रही है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत 2061–64 अनुसार विवादित आराजी, राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज अभिलेख है। स्वयं वादी/अपीलाण्ट ने अपनी जिरह में विवादित भूमि को सिवायचक/सरकारी भूमि होना एवं नाजायज तरीके से जोतना कथन किया है। इसके अलावा विधि अनुसार मात्र कब्जे के आधार पर किसी को खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की विस्तार से विवेचना की जाकर, अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें हम हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

6. हम यह भी पाते हैं कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में राजकीय सिवायचक अंकित है जिस पर अपीलाण्ट/वादी का पश्चात्‌वर्ती अतिक्रमण है। अतः तहसीलदार बयाना को अतिक्रमी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करनी चाहिए, पश्चात्‌वर्ती अतिक्रमण एवं विवादित भूमि की किस्म राजकीय सिवायचक होने के कारण भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 की कार्यवाही हेतु भी परीक्षण वांछनीय हैं। निर्णय की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु तहसीलदार बयाना को दी जावें।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.01.2021 यथावत रखें जाते है। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 14.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.10.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प बयाना